

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-139/2021 3298
प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
पूर्वी चम्पारण।

पटना, दिनांक- 26.8.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।
प्रसंग:- आपका पत्रांक-294, दिनांक-12.08.2021
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित मतदान केन्द्रों के गठन का प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	केसरिया	1	0	1	
	कुल	1	0	1	

मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक- 3298 /-

पटना, दिनांक- 26.8.21

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित मतदान केन्द्र की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

सचिव।

प्रखण्ड कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चम्पारण।

प्रपत्र-2

(नियम-2 (ब) के अधीन)

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची।

जिला का नाम:-पूर्वी चम्पारण।				प्रखण्ड का नाम:-केसरिया।				ग्राम पंचायत का नाम:-उत्तरी हुसैनी				
क्र.सं.	पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण / औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रान्. नि. क्षेत्र संख्या.....)	मतदान सूची के आधार पर कुल प्रतिवातों की संख्या (प्रान्. नि. क्षेत्र.....तक)	विस्तार / अतिरिक्त संख्या भरी	भाज. कुल कुम्भ की संख्या	मतदान केन्द्र के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली उचितता	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुंचने एवं निकलने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भर होकर आ जा सकते हैं अथवा नहीं	अन्य टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	नवीन प्रान्. वि० कालिका हॉली हुसैनी	डी० पी० एच. विद्यालय मध्य भाग हुसैनी	08 इलाक़े हुसैनी	वर्तमान नुस्खा के कारण एड केन सहित 30 नौ० से 40 मी० घूमने के कारण मतदान केन्द्र को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव	01 से 785	सदरमंश नदज	12	32 डि० मी० के आन्तर	है	है	है	

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित

25/04/2023

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

1

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचकी पदाधिकारी (नियमानु) केसरिया, पूर्वी चम्पारण।

विजया निर्वाचन पदाधिकारी (चं०) बिहार, पूर्वी चम्पारण

जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी